न्यायालयः-एस०के० गुप्ता, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक ४४२/17

भूरा उर्फ रवि पुत्र तांती सिंह मिर्धा आयु 26 वर्ष निवासी ग्राम पिपरौली थाना व परगना गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

——आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना मालनपुर

----अनावेदक

04-01-2018

आवेदक / आरोपी भूरा उर्फ रवि की ओर से श्री एम0एस0 यादव अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। विचारण न्यायालय (श्री ए०के० गुप्ता जे०एम०एफ०सी० गोहद) से मूल आपराधिक प्र०क० 754 / 17 प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक / अभियुक्त भूरे उर्फ रिव की ओर से अधिवक्ता श्री एम0एस0 यादव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक / अभियुक्त भूरे उर्फ रिव की ओर से अधि. श्री एम0एस0 यादव द्वारा प्रथम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया कि आवेदक के खिलाफ झूंठा मामला कायम कर लिया गया है, जबिक आवेदक का किसी भी अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है वह निर्दोष है तथा झूंठा फंसाया गया है। उसके फरार होने तथा साक्ष्य प्रभावित किये जाने की आशंका नहीं है। अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। आवेदक नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा। विचारण न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है। आवेदक उपजेल गोहद में दिनांक 02. 11.17 से अभिरक्षा में होकर विगत करीब 2 माह से जेल में है। आवेदक गरीब मजदूर पेशा परिवार का कर्ताधर्ता व्यक्ति है तथा मामले में सहअभियुक्त श्रीकृष्ण को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के आदेशानुसार नियमित जमानत का लाभ प्रदान किया गया है एवं

आवेदक / अभियुक्त भूरे उर्फ रिव का कृत्य उक्त सहअभियुक्त के कृत्य से भिन्न नहीं है। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए आवेदन पत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये विचारण न्यायालय के मूल आपराधिक प्रकरण कमांक 754/17 शासन पुलिस मालनपुर विरुद्ध श्रीकृष्ण आदि के संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त भूरा उर्फ रवि सहित अन्य सहअभियुक्त श्रीकृष्ण के विरुद्ध धारा 382 भा०दं०सं० के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर अभियुक्तगण द्वारा दस हजार रूपये नगदी सहित सोने व चॉदी के जेवरात कुल कीमत 80 हजार रूपये की चोरी करना बताया गया है। उक्त अपराध जे०एम०एफ०सी० न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है तथा अभियुक्त दिनांक 02.11.17 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है और गरीब मजदूर पेशा परिवार का कर्ताधर्ता होना तथा स्थानीय क्षेत्र का स्थाई निवासी होना बताया गया है एवं आवेदक/अभियुक्त भूरा उर्फ रवि के कब्जे से चुराई गई सम्पत्ति की कोई जप्ती नहीं हुई एवं सहअभियुक्त श्रीकृष्ण माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण में पूर्व से नियमित जमानत पर आजाद है तथा वर्तमान आवेदक/अभियुक्त का मामले में कृत्य सहअभियुक्त श्रीकृष्ण के कृत्य से भिन्न नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार मामले की संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं०प्र०सं० स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त भूरा उर्फ रिव की ओर से निम्न शर्तों सिहत 50,000/— रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य प्रस्तुत होने पर उसे नियमित जमानत पर रिहा किया जावे।

1.बंधपत्र की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

2.अन्वेषण / विचारण में सहयोग करेगा।

3.किसी भी अभियोजन साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा।

४.अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

5.विचारण के दौरान अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

6.विचारण न्यायालय / अनुसंधान अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

आदेश की प्रति सहित मूल आपराधिक प्रकरण संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

